UPBG010031762023

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय सं०-01, बागपत।
उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा
जे०ओ०कोड-यू०पी० 6104
फौजदारी निगरानी संख्या- 125/2023

1- सत्यवीर पुत्र लालचन्द
2- दिनेश
3- मुकेश — पुत्रगण सत्यवीर
4- बोबी उर्फ संजय
निवासीगण ग्राम अकबरपुर माजरा, थाना अलीपुर, दिल्ली- 36
5- श्रीमती गीता पत्नी दीपक पुत्री सतवीर, निवासी निकट मिशन स्कूल खेकड़ा, जिला बागपत।

.....निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण।

बनाम

1- दीपक पुत्र श्री रामकिशन, निवासी मिशन स्कूल के पास कस्बा खेकड़ा, हाल पता आवास-विकास कालोनी खेकड़ा, थाना खेकड़ा, जिला बागपत।
2- उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बागपत, जनपद बागपत।

.....प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

1- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान परीक्षण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय, बागपत द्वारा परिवाद संख्या 526/2022, दीपक बनाम सत्यवीर आदि, अन्तर्गत धारा 323, 506 भा०दं०सं०, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में पारित आदेश दिनांकित 10.08.2022 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण सत्यवीर, दिनेश, मुकेश व बोबी को अन्तर्गत धारा 323, 506 भा०दं०सं० तथा निगरानीकर्ता/प्रार्थिनी श्रीमती गीता को अन्तरग्त धारा 506 भा०दं०सं० के तहत विचारण हेतु तलब किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी है।

2- प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की है। निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण द्वारा योजित निगरानी के तथ्य एवं आधार इस प्रकार हैं कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 विधि एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है जो प्रत्येक दशा में खण्डित होने योग्य है। निगरानीकर्ता संख्या 5, विपक्षी संख्या 1 की विवाहित पत्नी है, परन्तु विपक्षी सं० 1 व उसका परिवार निगरानीकर्ता सं० 5 के साथ आये दिन मारपीट, गाली-गलौच व दहेज की माँग करते चले आ रहे हैं तथा निगरानीकर्तागण से भी रंजिश रखता है, जिसकी बाबत निगरानीकर्ता सं० 5 द्वारा एक मु०अ०सं० 128/2020 अं० धारा 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.04.10 17:10:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रति० अधि० थाना महिला थाना बागपत पर पंजीकृत कराया था तथा निगरानीकर्ता सं० 5 श्रीमती गीता द्वारा परिवार न्यायालय बागपत में भी एक वाद अं० धारा 125 सीआ०पी०सी० वास्ते भरण-पोषण तथा एक अन्य वाद अं० धारा 12 घरेलू हिंसा, गीता बनाम दीपक आदि मान्य न्यायालय जू०डि०/त्वरित न्यायालय बागपत में विचाराधीन चले आते हैं। इस प्रकार विपक्षी सं० 1 द्वारा निगरनीकर्तागण पर नाजायज दबाव बनाने हेतु अवर न्यायालय में झूठी घटनाओं पर परिवाद योजित करके निगरानीकर्तागण को तलब कराया गया है। जबकि अवर न्यायालय की पत्रावली में कोई भी ठोस साश्रय जैसे चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र आदि मौजूद नहीं है परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बड़ी त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिनांक 10.08.2022 पारित कर दिया है, जो खण्डित होने योग्य है। विपक्षी सं० 1 द्वारा परिवाद में दो घटना दिनांक 22.10.2020 व 14.09.2020 की बतायी है, परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने अवर न्यायालय में अंकित बयान अं० धारा 200 दं०प्र०सं० में घटना दिनांक 17.09.2020 का कोई भी जिक्र किसी प्रकार से नहीं किया गया है। इस प्रकार परिवादी के परिवाद व बयान अं० धारा 200 दं०प्र०सं० में अत्यधिक विरोधाभास है, जिससे विपक्षी सं० 1 द्वारा अवर न्यायालय में योजित घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मौजूदा विधि व्यवस्था एवं विधिक प्राविधानों के अनुरूप क्षेत्राधिकार का प्रयोग ही नहीं किया है अपितु स्वयं में निहित शक्तियों को मनमाने तरीके से दुरुपयोग करते हुए क्षेत्राधिकार का भी अतिक्रमण करने की भूल की है जिस कारण भी अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश खण्डित होने योग्य है। अतः निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार करते हुए, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 10.08.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

3- निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की उक्त निगरानी पर प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं आए और न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 02 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित आए, परन्तु उनके द्वारा भी कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गई, बल्कि मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4- उपरोक्त दाण्डिक निगरानी के संबंध में निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण ने फेहरिस्त **<u>सूची कागजात 4 ब/1</u>** से शपथपत्र गीता के साथ संलग्नक के रूप में प्रपत्र संख्या 4 ब/2 ता 4 ब/8 तथा **<u>सूची कागजात 5 ब</u>** से दो किता प्रमाणित प्रति प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022, सात किता मु०अ०सं० 128/2020, धारा 498 ए, 323, 307, 354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रति० अधि०, थाना महिला थाना, बागपत की छायाप्रति, चार किता मान्य परिवार न्यायालय बागपत में दायर वाद गीता बनाम दीपक आदि धारा 125 दं०प्र०सं० के वादपत्र की सत्यापित नकल व दस किता न्यायालय सिविल जज जू०डि०/त्वरित न्यायालय, बागपत में विचाराधीन वाद संख्या 149/2021 धारा 12 डी०वी०एक्ट के वाद पत्र की सत्यापित नकल पत्रावली पर दाखिल किये हैं।

5- पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु पेश हुई। निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। लगातार निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु अवसर दिए जाते रहे, परन्तु उपस्थित नहीं आये। चूंकि निगरानी का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 02 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 विधि अनुसार पारित किया

गया है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही पारित किया गया है तथा निगरानी निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गई।

6. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद इस आशय के साथ योजित किया गया था कि 'परिवादी दिनांक 22.10.2020 को समय करीब 09:50 बजे रात्रि में अपने भाई के घर से खाना खाकर अपनी मोटर साइकिल से विकास को साथ लेकर अपने किराये के मकान कांशीराम आवास खेकड़ा में जा रहा था तभी वीव टैक्स के सामने रोड पर सत्यवीर पुत्र लालचन्द, दिनेश, मुकेश, बोबी पुत्रगण सत्यवीर ने मुझे रोक लिया और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मोटरसाइकिल गिरा दी मुझे सभी ने थप्पड़ मारे और गाली-गलौच करते हुए कहा कि अगर गीता को ठीक नहीं रखोगे तो तुझे ही जान से मार देंगे और गोली मारने की धमकी दी साथ में आये विकास ने मेरा बीच बचाव कराया। प्रार्थी की पत्नी गीता ने दिनांक 19.09.2020 को प्रार्थी के साथ मारपीट करके गाली-गलौच करते हुए प्रार्थी के निजी मकान से भगा दिया था। तभी से प्रार्थी आवास विकास कालोनी खेकड़ा में किराये पर रहता है। प्रार्थी ने 10-12 मिनट पर 112 नम्बर पर कॉल किया तथा पुलिस वहीं पर आयी थी। प्रार्थी को थाने लेकर गयी, लेकिन थाना खेकड़ा की पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थी ने दिनांक 23.10.2020 को पुलिस अधीक्षक, बागपत को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।'

7. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान परीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 का अवलोकन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है कि **'... परिवादपत्र में वर्णित कथनों एवं उक्त बयान के अवलोकन पर स्पष्ट है कि परिवादी ने मुख्य रूप से विपक्षीगण द्वारा दिनांक 22.10.2020 को लगभग रात दस बजे परिवादी के साथ लात घूसों के साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। उक्त घटना का समर्थन साक्षी विकास द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में किया गया है। ऐसी स्थिति में समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के दृष्टिगत विपक्षीगण सत्यवीर, दिनेश, मुकेश व बोबी को अन्तर्गत धारा 323, 506 भा०दं०सं० एवं विपक्षी गीता को अन्तर्गत धारा 506 भा०दं०सं० के तहत तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।'**

8. परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र के कथनों तथा समर्थन में परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० व धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षी विकास के बयानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता या अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर निगरानी पर बल नहीं दिया गया है। चूंकि निगरानी का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना है, अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय में दिया गया निष्कर्ष विधि अनुसार दिया गया है। उपरोक्त समस्त निष्कर्ष के आधार पर मेरे द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या- 125/2023, सत्यवीर आदि बनाम दीपक आदि निरस्त की जाती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय, बागपत द्वारा परिवाद संख्या 526/2022, दीपक बनाम सत्यवीर आदि, अन्तर्गत धारा 323, 506 भा०दं०सं०, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.08.2022 पुष्ट किया जाता है।

दाण्डिक निगरानी में पारित आदेश की प्रति संबंधित विद्वान परीक्षण न्यायालय को मूल पत्रावली के साथ वापस भेजी जाये। दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

<u>दिनांकः 10.04.2026</u>

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनांकः 10.04.2026</u>

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या- 01, बागपत।